COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Case no. 95C/2025***

Addl. Sessions Judge-I-cum-

Special-Judge SC & ST Act., Jamui, ***Pg. 1/2***

Sundari Devi Vs. Sukdev Laheri and Others

11.05.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की द्वारा अधिवक्ता हाजरी हैं। पुकार पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 4.12.2025 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त चार साक्षी मानव मृणाल, संतोष वर्मा, विकास कुमार एवं सोनु कुमार का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी सुन्दरी देवी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2025 समय करीब 3.30 बजे शाम में उसका बेटा सोनू कुमार चार चक्का से सिकन्दरा से घर आ रहा था। सुकदेव लहेरी के दुकान के आगे टी0वी0 एन्टीना वाला छतरी रास्ता पर रखा हुआ था। छतरी हटाने के लिये बोलने पर सुकदेव लहेरी एवं अमित लहेरी उसको गाड़ी से खींचकर लाठी–डण्डा से मारपीट करने लगे। हल्ला पर परिवादिनी आयी तो देखा कि सुकदेव लहेरी, सोनू का हाथ पकड़ा था और अमित लहेरी डण्डा से मार रहा था। जब वह बचाने गयी तो दोनो अभियुक्त मिलकर उसे जाति सूचक शब्द कहकर गाली देने लगा कि ''हरिजन, नीच, जात पासिन, भोसड़ी तुमको छूने से शरीर अशुद्ध हो जाएगा'' और उसको लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगा, जिससे वह नाली में गिर गयी। गिरे अवस्था में नाली का गंदा पानी शरीर पर फेक दिया एवं गले से दस भर का चांदी का सिकड़ी, जिसका कीमत 9000 है, जो अमित लहेरी ले लिया।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त चार साक्षी मानव मृणाल, संतोष वर्मा, विकास कुमार एवं सोनु कुमार का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान मे कथन किया है कि उसका बेटा गाड़ी लेकर आ रहा था तो उसने अमित लहेरी एवं सुखदेव लहेरी से कहा कि रास्ते से छतरी हटा ले, उसी में बाता बाती एवं झगड़ा हुआ। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **सोनू चौधरी**

(परिवादिनी के बेटे) को पुलिस पकड़ने आयी थी। सोनू चौधरी को पुलिस ढुंढने आयी थी। उसके बेटे (सोनू चौधरी) पर अमित लहेरी ने केस किया है। अमित लहेरी के सर पर चोट लगी थी। परिवादी ने अपने जांच साक्ष्य में अभियुक्तों द्वारा उसे मारने एवं चांदी का सिकड़ी छीनने के तथ्य का समर्थन नही किया है। जबकि परिवाद पत्र में दर्ज है कि दोनो अभियुक्त ने उसको लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किया एवं 9000 रूपया का चांदी का सिकड़ी छीन लिया। जांच साक्षी संख्या 1 मानव मृणाल ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **सोनू चौधरी पर सुखदेव लहेरी ने थाना पर मुकदमा कर दिया है। पुलिस पकड़ने आयी थी।** जांच साक्षी संख्या 2 संतोष वर्मा ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **सोनू पर थाने में मुकदमा हुआ है। वह मुकदमा अमित ने किया था। आज उसे सोनू की मां गवाही के लिये लायी है।** जांच साक्षी संख्या 3 विकास कुमार ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **वह केस अमित लहेरी ने किया है। उसी से बचने के लिये सुंदरी ने यह केस किया है।** जांच साक्षी संख्या 4 सोनू कुमार ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर स्वीकार किया है कि **उस पर अभियुक्तो ने मुकदमा किया है। उसका मुकदमा बाद का है। लोअर कोर्ट से उसका जमानत रद्द हो गया था। उसे माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली।** मेरे विचार से साक्षियों के साक्ष्य एवं परिवाद पत्र में गम्भीर विरोधाभाष है। अतः मेरे विचार से मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि परिवाद पत्र के अभियुक्तों के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद अस्वीकृत (Reject) किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जमुई।